**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड**

**माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 82वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2022,**

## कार्यसूची (एजेण्डा)

| | |
|---|---|
| एजेण्डा संख्या – 1 | सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट<br>i) केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें :<br>(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना<br>(ख) एन.यू.एल.एम.<br>(ग) पी.एम.ई.जी.पी.<br>(घ) एन.आर.एल.एम.<br>(ङ) स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान<br>(च) पी.एम. स्वनिधि<br>ii) राज्य सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें :<br>(क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना<br>(ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो<br>(ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना<br>(घ) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना<br>(ङ) पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) योजना |
| एजेण्डा संख्या – 2 | वित्तीय समावेषन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 :<br>(क) सामाजिक सुरक्षा योजना<br>(ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग<br>(ग) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना<br>(घ ) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC)<br>(ङ) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव<br>(च) चार धाम यात्रा मार्ग पर बैंक षाखायें खोलना |
| एजेण्डा संख्या – 3 | कृषि विषयक योजनायें :<br>(क) कृषि अवसंरचना निधि (AIF)<br>(ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) |
| एजेण्डा संख्या – 4 | योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा |
| एजेण्डा संख्या – 5 | (क) एम.एस.एम.ई.<br>(ख) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना |
| एजेण्डा संख्या – 6 | लम्बित प्रकरण<br>(i) Issues pending with State Government<br>(ii) Issues of SLBC pending with Banks |
| एजेण्डा संख्या – 7 | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। |

# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
## 82वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

## एजेण्डा

**81वीं बैठक :**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 81वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2022 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी।

**एजेण्डा संख्या – 1 :**

**सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति :**

**केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :**

| Scheme | | | F.Y. 2019-20 | | | F.Y. 2020-21 | | | F.Y. 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Sanctioned | Progress % | Target | Sanctioned | Progress % | Target | Sanctioned | Progress % |
| NRLM | | | 7610 | 8089 | 106 | 9740 | 7644 | **99** | 10,000 | 10,312 | **103** |
| MUDRA | | | --- | 198945 | --- | --- | 191061 | --- | 1,90,000 | 2,03,767 | **107** |
| SCP | SC | | 1463 | 1082 | 74 | 732 | 774 | **106** | 805 | 823 | **102** |
| | ST | | 100 | 96 | 96 | 100 | 70 | **70** | 100 | 105 | **105** |
| | Minority | | 225 | 92 | 41 | 177 | 78 | **44** | 150 | 77 | **51** |
| | Total | | 1788 | 1270 | 71 | 1009 | 922 | **91** | 1,055 | 1,005 | **95** |
| NULM | | | 1000 | 797 | 80 | 772 | 1084 | **140** | 2,330 | 1,267 | **54** |
| PM SVANidhi | | | --- | --- | --- | 25000 | 9848 | **39** | 25000 | 11400 | **46** |
| Stand-up India | | | 2198 | 506 | 23 | 2260 | 409 | **18** | 2198 | 264 | **12** |
| PMEGP | | | 1318 | 1840 | 140 | 1326 | 2627 | **198** | 1,714 | 1,917 | **112** |
| | | | | | | **Margin Money Target :** Rs. 39.77 Cr. **Achievement :** Rs. 45.19 Cr. **(114 %)** | | | **Margin Money Target** : Rs. 51.71 Cr. **Achievement :** Rs.34.37 Cr**. (66%)** | | |

**राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :**

| Scheme | | | F.Y. 2019-20 | | | F.Y. 2020-21 | | | F.Y. 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Sanctioned | Progress % | Target | Sanctioned | Progress % | Target | Sanctioned | Progress % |
| VCSGSY | Vehicle | | 147 | 140 | 95 | 147 | 137 | **93** | 150 | 117 | **78** |
| | Non Vehicle | | 153 | 53 | 35 | 153 | 60 | **39** | 100 | 56 | **56** |
| Home Stay | | | --- | 115 | --- | --- | 128 | --- | 200 | 125 | **62** |
| MSY | | | NA | NA | NA | 1500 | 3866 | **258** | 5100 | 5583 | **109** |
| MSY - NANO | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | 1024 | --- |
| MSSY | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | 122 | --- |

## (i) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :

### (क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

**(Annex. – 1)**
**(रु. करोड़ में)**

| | | F.Y. 2021-22 | | Upto 31.07.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खातों की संख्या | स्वीकृत ऋण राशि | खातों की संख्या | स्वीकृत ऋण राशि |
| षिषु | रु. 50000 तक के ऋण | 132426 | 400.21 | 46629 | 148.81 |
| किषोर | रु. 50000 से रु. 5.00 लाख | 60238 | 1086.91 | 17612 | 368.25 |
| तरुण | रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख | 11103 | 909.51 | 4294 | 357.82 |
| **योग** | | **203767** | **2396.63** | **68535** | **874.91** |

**Source : Mudra Portal**

बैंकों द्वारा मुद्रा योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे : व्यापारिक, सेवा, निर्माण, कृषि हेतु रु. 10.00 लाख तक के ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।
वित्तीय वष 2022–23 में योजना अंतर्गत **68535** लाभार्थियों को **रु. 874.91 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **94735** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वष 2021–22 में योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 2500.00 करोड़ के सापेक्ष **203767** लाभार्थियों को **रु. 2396.63 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **2,86,211** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

### (ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual) :

**(Annex. – 2)**
**(रु. लाखों में)**

| प्रगति | वार्षिक लक्ष्य | प्रेषित आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | वितरित आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त / वापिस आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Upto 31/07/22** | 1000 | 714 | 345 | 341 | 472.45 | 105 | 264 |
| **F.Y. 2021-22** | 2330 | 3126 | 1267 | 1252 | 1775.94 | 482 | 1438 |

**Source : NULM Portal**

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **1000** के सापेक्ष **345** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **35%** है।
वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **2330** के सापेक्ष **1267** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **54%** है।

### (ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :

प्रधान कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के परिपत्र संख्या PMEGP/Policy/2022-23 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार संषोधित दिषा–निर्देषानुसार निम्नवत हैं :

- पीएमईजीपी योजना वर्ष 2025–26 तक संचालित रहेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 25.00 लाख को बढ़ाकर रु. 50.00 लाख कर दिया गया है।
- सेवा क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 10.00 लाख को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया है।

योजना अंतर्गत प्रगति निम्नवत है :

**(Annex. – 3)**

**(रु. लाखों में)**

| प्रगति | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | ऋण राशि | वितरित आवेदन पत्र | ऋण राशि | निरस्त आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | <1M | >1M |
| **Upto 31.07.22** | 1714 | 1783 | 593 | 2228.92 | 122 | 694.56 | 583 | 205 | 402 |
| **F.Y. 2021-22** | 1714 | 4780 | 1917 | 11475.96 | 1603 | 8223.53 | 2505 | 202 | 156 |

**(Source : PMEGP Portal)**

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31.07.2022 तक योजना अंतर्गत मार्जिन मनी हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. **51.71 करोड** के सापेक्ष रु. **8.24 करोड (16%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. **51.71 करोड** के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. **34.37 करोड ( 66%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

बैंकों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित वाषिक लक्ष्य का 75 प्रतिषत लक्ष्य त्रैमास दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।

पोर्टल में नोडल बैंक द्वारा निरस्त की गयी मार्जिन मनी के आवेदन पत्र पुनः सुधार कर पोर्टल में अपलोड करें।

## (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

**(Annex. – 4)**

**(रु. लाखों में)**

| प्रगति | वार्षिक लक्ष्य | प्रेषित आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | ऋण राशि | निरस्त आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | < 1 M | >1 M |
| **Upto 31.07.2022** | 15000 | 5430 | 730 | 975.05 | 404 | 2421 | 1875 |
| **F.Y. 2021-22** | 10000 | 16213 | 10312 | 168.96 | 5342 | 36 | 523 |

**Source : NRLM Portal**

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **15000** के सापेक्ष **730** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **10000** के सापेक्ष **10312** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **103%** है।

एन.आर.एल.एम. पोर्टल वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम त्रैमास में कार्य नही कर रहा था। समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि वे येाजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

## (ङ) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (SCP) :

**(Annex. – 5)**

**Progress as on 31.07.2022** **(रु. लाखों में)**

| योजना | वार्षिक लक्ष्य | प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | वितरित आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त/वापिस आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 886 | 411 | 154 | 139 | 90.86 | 27 | 230 |
| अनुसूचित जनजाति | 100 | 25 | 10 | 8 | 3.85 | 0 | 15 |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 120 | 35 | 14 | 14 | 9.57 | 0 | 21 |
| **कुल योग** | **1106** | **471** | **178** | **161** | **104.28** | **27** | **266** |

**Source : Deptt.**

**Progress F.Y. 2021-22** **(रु. लाखों में)**

| योजना | वार्षिक लक्ष्य | प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | वितरित आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त/वापिस आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 805 | 1528 | 823 | 779 | 568.91 | 377 | 328 |
| अनुसूचित जनजाति | 100 | 131 | 105 | 100 | 46.15 | 17 | 9 |
| अल्पसंख्यक समुदाय | 150 | 178 | 77 | 77 | 84.04 | 24 | 77 |
| **कुल योग** | **1055** | **1837** | **1005** | **956** | **699.10** | **418** | **414** |

**Source : Deptt.**

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **1106** के सापेक्ष **178** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **16%** है।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **1055** के सापेक्ष **1005** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **95%** है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि, सेवा, व्यवसाय, यातायात हेतु रु. 20,000.00 से रु. 7.00 लाख तक की परियोजना लागत तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजना अंतर्गत 50 प्रतिषत या अधिकतम रु. 10,000.00 का षासकीय अनुदान एवं योजना की लागत का 25 प्रतिषत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिषत वाषिक ब्याज दर पर निगम द्वारा लाभार्थी को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

## (च) पी.एम. स्वनिधि (PM SVANidhi) :

पी.एम. स्वनिधी आई.टी. टीम द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.एम. स्वनिधी के आवेदकों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र/आधार केन्द्र में पहुंचकर अपने आधार कार्ड में आवेदन पत्र में दिया गया अपना मोबाईल संख्या अपडेट कराना होगा। Re-KYC होने के उपरांत 2nd Tranche का आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों के पास नये आवेदन पत्र श्रेणी में पदर्षित होंगे।

**PM SVANidhi - 1st Tranche (upto Rs. 10,000/-) :** **(Annex. – 6)**

| progress | Total Applications | Rejected | Ineligible | Eligible | Total Sanctioned | Pending | Disbursement | Pending for Disbursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| **Upto 31/07/22** | 24688 | 4719 | 1054 | 18905 | 13146 | 5769 | 11729 | 1417 |
| **Upto 31/03/22** | 18594 | 4374 | 976 | -- | 11400 | --- | 10862 | --- |

**(Source : PM SVANidhi Portal)**

**PM SVANidhi - 2nd Tranche (Rs. 10,000/- to Rs. 20,000/-)**

**Progress as on 20/08/2022**

| Eligible Applications | Sanctioned | Disbursed | Returned by Bank | Ineligible | Pending for Consent (e-KYC) |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| 3115 | 1993 | 1265 | 0 | 0 | 3153 |

**Progress F.Y. 2021-22**

| Total Applications | Total Picked up | Total Sanctioned | Total Disbursed | Rejected | Ineligible |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| 906 | 297 | 507 | 412 | 102 | 00 |

- मंत्रालय से प्राप्त दिषानिर्देषानुसार 2nd Tranche हेतु "Rejection" का आप्षन हटा दिया गया है, अतः अब ऋण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निरस्त नही किये जा सकते हैं।

- इस संदर्भ में सिडबी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह एक policy decision है, अतः बैंक के नियंत्रकों से आग्रह है कि वे अपनी षाखाओं को पोर्टल में 2nd Tranche एव 3rd Tranche की समस्त ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत एवं वितरित करने हेतु उचित निर्देष जारी करें।
- बैंकों से आग्रह है कि वे पी.एम. स्वनिधि ऋण कि लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर की बाध्यता को समाप्त करने के लिए अपने बैंक बोर्ड से अनुमति प्राप्त करें।

**PM SVANidhi - 3rd Tranche (Rs. 20,000/- to Rs. 50,000/-) :**

**Progress as on 20/08/2022**

| Eligible Applications | Sanctioned | Disbursed | Returned by Bank | Ineligible | Pending for Consent (E-KYC) |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| 13 | 10 | 07 | 0 | 0 | 01 |

योजना अंतर्गत माह जुलाई, 2022 तक **1st Tranche में 13146, 2nd Tranche में 1993 तथा 3rd Tranche में 10** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

यू.एल.बी. से आग्रह है कि वे वैन्डर का अतिषीघ्र e-KYC करवायें, जिससे बैंक षाखायें ऋण स्वीकृत कर सके।

## (ii) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :

### (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY):

**(Annex. – 7)**

| Progress | Target | Pending Applications of Last F.Y. | Applications Sent to Bank | Reverted | Returned | Sanctioned | Disbursed | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| **Upto 31.07.2022** | 6000 | * | 5271 | 506 | 1070 | 1267 | 858 | 2428 |
| **F.Y. 2021-22** | 5100 | 1017 | 13072 | 1939 | 4268 | 5583 | 4277 | 2299 |

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **6000** के सापेक्ष **1267** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **21%** है।

* उद्योग विभाग को इस विषयक सूचना प्रेषित कर दी गयी है।

एम.एस.वाई. पोर्टल में वित्तीय वष 2021–22 के लम्बित ऋण आवेदन पत्र वित्तीय वष 2022–23 में लम्बित दर्षाये जा रहे हैं, जिनका मिलान नही हो पा रहा है।

बैंकों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित वाषिक लक्ष्य का 75 प्रतिषत लक्ष्य त्रैमास दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।

समस्त बैंक योजना अंतर्गत प्रथम किस्त निर्गत करने के उपरांत पोर्टल में मार्जिन मनी सब्सिडी लॉज करें तथा आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ईडीपी प्रषिक्षण एवं विभिन्न संस्थानों से ऑफलाईन ईडीपी प्रषिक्षण लेने हेतु अवगत करायें।

### (ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो (MSY - NANO):

**(Annex. – 8)**

| Progress | Target | Applications Sent to Bank | Returned | Rejected | Sanctioned | Disbursed | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| **Upto 31.07.2022** | 10000 | 4017 | 594 | 1284 | 1289 | 797 | 850 |
| **F.Y. 2021-22** | --- | 3867 | 444 | 899 | 1024 | 586 | 1500 |

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **1289** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **1024** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि वे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को मुद्रा ऋण योजना (षिषु) से सम्बद्व करते हए आच्छादित करने हेतु कार्य करें। समस्त बैंक षाखायें उक्त योजना का लाभ मुद्रा ऋण योजना (षिषु) के अंतर्गत आवेदकों को ऋण प्रदान कर।

## (ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY):

**(Annex. – 9)**

| Progress | Backlog | Applications Sent to Bank | Returned | Rejected | Sanctioned | Disbursed | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. |
| **Upto 31.07.2022** | 9 | 144 | 29 | 28 | 51 | 43 | 45 |
| **F.Y. 2021-22** | 69 | 420 | 107 | 157 | 122 | 90 | 103 |

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **51** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **122** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

बैंकों से आग्रह है कि वे अपने कार्पोरेट कार्यालय से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना विषयक Circular एवं Product Code जारी करायें।

## (घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

**(Annex. – 10)**

**Progress Upto 31.07.2022**

(रु. करोड़ में)

| वार्षिक लक्ष्य | | प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | वितरित आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त / वापिस आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खण्ड | संख्या | | | | | | |
| वाहन | 150 | 126 | 57 | 47 | 5.17 | 17 | 52 |
| गैर–वाहन | 100 | 73 | 18 | 15 | 4.97 | 16 | 39 |
| कुल योग | 250 | 199 | 75 | 62 | 10.14 | 33 | 91 |

**Progress F.Y. 2021-22**

(रु. करोड़ में)

| वार्षिक लक्ष्य | | प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत आवेदन पत्र | वितरित आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त / वापिस आवेदन पत्र | लम्बित आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खण्ड | संख्या | | | | | | |
| वाहन | 150 | 178 | 117 | 106 | 10.48 | 39 | 22 |
| गैर–वाहन | 100 | 133 | 56 | 50 | 13.96 | 41 | 36 |
| कुल योग | 250 | 311 | 173 | 156 | 24.44 | 80 | 58 |

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 250 के सापेक्ष **75** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 30% है।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 250 के सापेक्ष **173** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 69% है।

## (ङ) पं. दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना :

**(Annex. – 11)**

(रु. करोड़ में)

| प्रगति | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्त ऋण आवेदन पत्र | स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र | वितरित ऋण आवेदन पत्र | वितरित ऋण राशि | निरस्त/ वापिस ऋण आवेदन पत्र | लम्बित ऋण आवेदन पत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Upto 31.07.2022** | 200 | 243 | 49 | 49 | 856.15 | 44 | 150 |
| **F.Y. 2021-22** | 200 | 338 | 125 | 124 | 2565.00 | 94 | 119 |

**(Source – Tourism Deptt.)**

उक्त योजना अंतर्गत बैंक ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करें, जिनमें सेक्षन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणाधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेन्सी से स्वीकृत नही हैं।

वित्तीय वष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 200 के सापेक्ष **49** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 24% है।

वित्तीय वष 2021–22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 200 के सापेक्ष **125** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 62% है।

## एजेण्डा संख्या – 2 :

### वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेषन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024 घोषित की गयी है।

### (क) सामाजिक सुरक्षा योजना :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं हेतु दिनांक 02.10.2021 से 30.09.2022 तक संतृप्तता अभियान प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देषित किया गया है।

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

**(Annex. – 12)**

| योजना | आच्छादित खातों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **As on 31.03.2020** | **As on 31.03.2021** | **As on 31.03.2022** | **As on 30.06.2022** |
| पी.एम.जे.डी.वाई (PMJDY) | 26,97,781 | 28,59,104 | 30,39,442 | 30,97,660 |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) | 16,77,754 | 20,43,505 | 22,62,442 | 22,50,617 |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY) | 4,35,773 | 4,59,346 | 5,58,148 | 5,67,774 |
| अटल पेंषन योजना (APY) | 2,06,556 | 2,81,786 | 3,93,453 | 4,64,840 |

(**Source** : F.I. Plan Portal - PMJDY, Banks - PMSBY, PMJJBY, PFRDA - APY)

**Update on Social Security Scheme :**

| Sr. No. | Scheme Name | As on | Information | Country | Uttarakhand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMJDY | 22/06/2022 | Deposit in PMJDY Accounts (Rs. In Cr.) | 1,68,835.06 | 1,651.67 |
| | | | No. of Female PMJDY Accounts | 25,49,71,011 | 15,67,602 |
| 2 | PMJJBY | 15/06/2022 | Cumulative PMJJBY Enrollments | 12,96,85,949 | 7,01,822 |
| | | | Claims amount Paid (Rs. In Cr.) | 11,774.84 | 74.40 |
| 3 | PMSBY | 15/06/2022 | Cumulative PMSBY Enrollments | 28,80,64,259 | 28,17,396 |
| | | | Claims amount Paid (Rs. In Cr.) | 1,976.35 | 38.86 |
| 4 | APY | 31/05/2022 | Total number of APY Subscribers | 4,14,06,657 | 4,49,204 |

(**Source :** DFS)

**Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National Average :**

| Sr. | Parameter | Uttarakhand | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | PMJDY Accounts per lakh population | 29,374 | 37,853 |
| 2 | PMJJBY enrollments per lakh population | 6,958 | 10,710 |
| 3 | PMSBY enrollments per lakh population | 27,933 | 23,790 |
| 4 | APY Subscribers per lakh population | 4,454 | 3,420 |

(**Source :** DFS)

## (ख) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

**(Annex. – 13)**

| Progress | Total No. of B.C.. | Active B.C. | In-Active B.C. | No. of B.C. completed B.C. Certification Course | No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course |
|---|---|---|---|---|---|
| **As on 30.06.22** | 3816 | 3472 | 344 | 2434 | 1382 |
| **As on 31.03.22** | 3686 | 3317 | 369 | 2258 | 1428 |

- एक्सिस बैंक द्वारा 31.12.2021 को बी.सी. की संख्या 101 रिपोर्ट की गयी थी, जो कि जून, 2022 त्रैमास में बढ़कर 823 हो गयी है।
- मार्च, 2022 में 2258 बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण किया गया था तथा जून, 2022 तक 2434 बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण कर लिया गया है।

## (ग) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना :

- एक्सिस बैंक के 823 बी.सी. राज्य में सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं।
- बैंकों से आग्रह है सी.एस.सी. को बी.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत करें तथा उन बी.सी. की सूची एस.एल. बी.सी. को प्रेषित करें, जो सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं।

## (घ) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी दिनांक 30.06.2022 की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

| Sr. No. | District | FLC Trainer | Name of Sponsoring | FLC Manager | | | | Rural Branches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. of Sepcial Camps | participant | No. of specific Camps | Participants | Camps | |
| 1 | Uttarkashi | LDM | SBI | 6 | 74 | 15 | 187 | | 218 |
| 2 | New Tehri | LDM | SBI | 6 | 124 | 13 | 279 | | 36 |
| 3 | Chamoli | LDM | SBI | 6 | 138 | 15 | 492 | | 74 |
| 4 | Champawat | LDM | SBI | 6 | 213 | 16 | 431 | | 90 |
| 5 | Bageshwar | LDM | SBI | 13 | 323 | 15 | 380 | | 95 |
| 6 | Pithoragarh | LDM | SBI | 8 | 224 | 9 | 272 | | 160 |
| 7 | Rudraprayag | LDM | SBI | 2 | 61 | 8 | 218 | | 16 |
| 8 | Pauri | LDM | SBI | 5 | 96 | 8 | 133 | | 384 |
| 9 | Almora | LDM | SBI | 5 | 158 | 8 | 256 | | 137 |
| 10 | Dehradun | Hired Trainer | PNB | 5 | 138 | 29 | 967 | | 139 |
| 11 | Haridwar | Hired Trainer | PNB | 6 | 241 | 16 | 375 | | 207 |
| 12 | Nainital | Hired Trainer | BOB | 10 | 309 | 27 | 669 | | 162 |
| 13 | US Nagar | Hired Trainer | BOB | 5 | 143 | 12 | 340 | | 319 |
| 14 | Tehri | Hired Trainer | UGB | 4 | 50 | 6 | 138 | Rural Camps | **2037** |
| 15 | Nainital | Hired Trainer | UGB | 7 | 370 | 16 | 425 | Special Camps | 100 |
| 16 | US Nagar | Hired Trainer | UGB | 6 | 158 | 15 | 396 | Specific Camps | 228 |
| | **TOTAL** | | | **100** | **2820** | **228** | **5958** | --- | --- |
| | | | | | | | | **Total Camps** | **2365** |

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा जून, 2022 में **2365** कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें **8778** प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

## (ङ) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव :

अंतर–राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धषासकीय पत्र संख्या 05/01/2021-ZCS (C) दिनांक 06.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में **244** गांव में बैंक/इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक की षाखा कार्यरत नही है तथा इनमें से 33 गांव 10 किमी0 की परिधि से अधिक दूरी के अंतर्गत आते है।

अग्रणी जिला प्रबन्धकों से प्राप्त जानकारी निम्नवत है :

- उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिंग सुविधा से वंचित 244 गांवों में से 30 गांवों में बैंकिंग सुविधा (5 किमी. की परिधि में) उपलबध है।
- India Post Payment Bank द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हे 11 गांवों में षाखायें खोलने की स्वीकृत प्राप्त हैं तथा इन स्थानों पर 3G/4G internet connectivity उपलब्ध होने पर षीघ्र ही षाखायें संचालित कर दी जायेगी।
- उपरोक्त समस्त 244 गांवों में Banking Correspondents द्वारा बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही है।
- ITDA द्वारा अवगत कराया गया है कि 131 गांवों में 3G/4G connectivity उपलब्ध है, किन्तु इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वित्तीय लेन देन काफी कम होन के दुषिटगत बैंकिंग षाखायें खोलना व्यवहारिक नही है।
- 89 गांवों में कोई internet सुविधा उपलब्ध नही है। 24 गांवों में मात्र 2G connectivity है, जो बैंक संचालन के लिये पर्याप्त नही है।
- 71 गांवों में सड़क सुविधा उपलब्ध नही है।
- 34 गांवों में सोलर पावर की सुविधा उपलब्ध है, जो बैंकिंग संचालन के लिये पर्याप्त नही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा, जनसंख्या घनत्व न्यून होने तथा सड़क मार्ग उपलब्ध न होने के कारण राज्य में बैंक/इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक की षाखायें खोला जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड क समस्त दूरस्थ क्षेत्रों में इन्टरनेट कनैक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य को विषष पैकेज प्रदान किये जाने पर विचार किया जाय, ताकि उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करायी जा सके, बैंक/इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक की षाखायें खोली जा सके तथा लोगों को दूरसंचार एवं बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधा प्रदान की जा सके तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।

## (च) चार धाम यात्रा मार्ग पर बैंक शाखायें खोलना :

चार धाम यात्रा मार्ग पर नई प्रस्तावित बैंक षाखायें :

| Sr. | Bank Name | Proposed Branch to be opened on Char Dham Routes | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gangotri | Yamnotri | Badrinath | Kedarnath |
| 1 | State Bank of India | Survey given to LDM Uttarkashi for opening branch at Gangotri | Survey given to LDM Uttarkashi for opening branch at Yamnotri | Already one Branch of SBI at Badrinath with ATM | Kedarnath (Premises to be provided by State Govt. for proposed Br. opening) |
| 2 | Punjab National Bank | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bank of Baroda | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Union Bank of India | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Canara Bank | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Axis Bank | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ICICI Bank | --- | --- | --- | --- |
| 8 | IDBI Bank | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HDFC Bank | --- | --- | --- | --- |

पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. बैंक एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक ने यात्रा मार्ग में 'षाखा खोलने हेतु एस.एल.बी.सी. को अवगत कराया है। वित्तीय सेवायें विभाग इस विषय की निगरानी कर रहा है तथा इन बैंकों से 'षाखा खोलने की जानकारी अतिषीघ चाहता है।

**एजेण्डा संख्या – 3 :**

**कृषि विषयक योजनायं :**

**(क) कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) : (Annex. –14)**

**(Amt. in Cr.)**

| Target 2020-23 | Applications Received | | Denied by Central PMU | | Rejected by Central PMU | | Verified by Central PMU | | Sanctioned | | Disbursed | | Sanctioned % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | |
| 314.00 | 176 | 105.36 | 32 | 36.97 | 60 | 23.03 | 83 | 45.36 | 72 | 41.99 | 36 | 20.71 | 13.37 |

**(Source of Data : Directorate Agr.)**

- कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत वित्तीय वष 2020–23 हेतु **रु. 314.00 करोड** का बजट निर्धारित है।
- **राज्य स्तर पर Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाना अपेक्षित है।**

AIF के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को षामिल किया गया है :

i) व्यक्तिगत, एफ.पी.ओ., पैक्स, एस.एच.जी, जे.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेषन, स्टेट लेबल फेडरेषन ऑफ कॉपरेटिब द्वारा कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु निम्न गतिविधियां :
. फार्म/हारबेस्ट ऑटोमेषन
. ड्रोन्स खरीदने हेतु
. रिमोट सेन्सिंग

ii) एफ.पी.ओ., पैक्स, एस.एच.जी, जे.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेषन, एस.एच.जी. फेडरेषन, स्टेट लेबल फेडरेषन ऑफ कॉपरेटिब कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु निम्न गतिविधियां :
. Hydroponic Farming
. Mushroom Farming
. Vertical Farming
. Aeroponic Farming
. Poly house / Green house

विभाग से आग्रह है कि वे उपरोक्त गतिविधियों में AIF अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक ऋण उक्त योजना अंतर्गत प्रदत्त की जा सके।

**(ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) :**

- योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाना और क्षेत्र के फार्मलाईजेषन को प्रोत्साहन देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वंय सहायता समूहों और उत्पादक सहकारिताओं (FPOs /SHGs/ Producer Co-operatives) को सहायता प्रदान करना है।
- आवेदक ने यदि किसी अन्य सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत सब्सीडी प्राप्त की है तथा आवेदक का ऋण खाता स्टेन्डर्ड है, तो वह व्यक्ति PMFME योजना अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।

**योजना की विशेषतायें :**

- योजना अंतर्गत नई/पुरानी इकाईयों (Individual and Groups) को भी गैर ODOP उत्पाद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- योजना अंतर्गत (Individual) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिषत Credit Linked Capital Subsidy अथवा अधिकतम रु. 10 लाख प्रति यूनिट देय है। मार्जिन मनी 10 प्रतिषत है।

PMFME योजना अंतर्गत प्रगति निम्नवत है :

**(Annex. – 15)**

**(रु. करोड में)**

| प्रगति | लक्ष्य | प्राप्त ऋण आवेदन पत्र | स्वीकृत | | वितरित | | निरस्त | लम्बित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संख्या | संख्या | धनराषि | संख्या | धनराषि | संख्या | संख्या |
| **Upto 31.07.22** | 578 | 179 | 43 | 4.77 | 24 | 2.01 | 62 | 74 |
| **Upto 31.03.22** | | 90 | 19 | 2.36 | 4 | 0.21 | 13 | 58 |

**(Source of Data : Directorate Agr.)**

## एजेण्डा संख्या – 4 :

### योजनावार एन.पी.ए. :

**As on 30th JUNE, 2022** **(Amt. in Crores)**

| S. No. | NAME OF SCHEME | Total Outstanding | | Gross NPA | | Gross NPA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | Amount | No. | Amount | |
| 1 | PMEGP | 6640 | 175.29 | 1091 | 23.13 | **13.19** |
| 2 | SCP | 4671 | 41.51 | 505 | 3.27 | **7.87** |
| 3 | VCSGSY | 2564 | 157.69 | 596 | 22.64 | **14.36** |
| 4 | NULM | 4761 | 40.69 | 986 | 6.92 | **17** |
| 5 | NRLM | 13698 | 57.77 | 1531 | 6.03 | **10.44** |
| 6 | Mudra | 416428 | 3828.52 | 46628 | 502.82 | **13.13** |

**(Source : SLBC Portal)**

षासन से निम्नवत आग्रह है :

- सम्बन्धित विभाग को निर्देषित करें कि वे योजना अंतर्गत एन.पी.ए. कम करने में बैंकों का सहयोग प्रदान करें।
- राजस्व विभाग को निर्देषित करें कि राज्य की विभिन्न तहसीलों में बैंकों द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली हेतु प्रयास करें।

## एजेण्डा संख्या – 5 :

### (क) एम.एस.एम.ई. :

योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार outstanding निम्नवत है :

**Progress as on 30.06.22** **(Total Outstanding Amt. in Cr.)**

| Micro Enterprises (Manufacturing + Services) | | Small Enterprises (Manufacturing + Services) | | Medium Enterprises (Manufacturing + Services) | | Other Finance to MSMEs | | Out of other finance to MSMEs above, loans upto 50 Cr. to Start-ups | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/c | Amt. | A/c | Amt. | A/c | Amt. | A/c | Amt. | A/c | Amt. | A/c | Amt. |
| 260782 | 9510.74 | 24055 | 7548.90 | 1945 | 2536.43 | 3503 | 229.74 | 11 | 1.53 | 290285 | 19825.81 |

**Progress as on 31.03.22** **(Total Outstanding Amt. in Cr.)**

| Micro Enterprises | | Small Enterprises | | Medium Enterprises | | Total Loan Amt. | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing | Services | Manufacturing | Services | Manufacturing | Services | Manufacturing | Services | |
| 2556.85 | 4205.11 | 3835.27 | 6307.66 | 1368.40 | 1014.90 | 7760.52 | 11527.67 | 19288.19 |

**(ख) <u>ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना</u> :**

उक्त योजना रु. 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करोड कर दिया गया है। योजना रु. 5.00 लाख करोड ऋण स्वीकृत होने तक अथवा 31 मार्च, 2023 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो, तक जारी रहेगी।

जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 30.06.2022 तक **73,407** खाताधारकों को **रु. 2246.60 करोड** का ऋण स्वीकृत किया गया है।

बैंकों से आग्रह है कि जिन उद्यमियों ने जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत ऋण नही लिया है, उनसे सम्पर्क कर, उन्हे योजना अंतर्गत जानकारी प्रदान करें तथा उनसे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को त्वरित स्वीकृत करें।

**a) <u>GECL - 1.0 & 2.0</u> :**

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

**Progress as on 30/06/2022, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores** : **(Annex. – 16 & 17)**

**(Rs. In Crores)**

| | | **Eligible loan A/Cs** | | No. of A/Cs whom information sent | **No. of Accounts** | | **Amount** | | **Coverage %** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of A/Cs | Amt. | | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | |
| Upto Rs. 25 Crores | **Annex. – 16** | 107683 | 2562.12 | 107683 | 73018 | 45224 | 2013.75 | 1788.32 | 67.81 |
| Above Rs. 25 to 50 Crores | **Annex. – 17** | 1078 | 246.63 | 1078 | 105 | 95 | 164.53 | 140.90 | 9.74 |
| **Total** | | **108761** | **2808.75** | **108761** | **73123** | **45319** | **2178.28** | **1929.22** | **---** |

**Progress as on 31/03/2022, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores** :

**(Rs. In Crores)**

| | | **Eligible loan A/Cs** | | No. of A/Cs whom information sent | **No. of Accounts** | | **Amount** | | **Coverage %** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of A/Cs | Amt. | | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | |
| Upto Rs. 25 Crores | | 107683 | 2562.12 | 107683 | 72966 | 45152 | 1957.92 | 1730.65 | 67.76 |
| Above Rs. 25 to 50 Crores | | 1078 | 246.63 | 1078 | 99 | 89 | 163.46 | 139.83 | 9.18 |
| **Total** | | **108761** | **2808.75** | **108761** | **73065** | **45241** | **2121.38** | **1870.48** | **---** |

**b) <u>GECL – 3.0</u> :**

| | **Earlier** | **Now** |
|---|---|---|
| **Entities / Sector eligible** | Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors | Civil aviation sector also made eligible |
| **Scheme validity** | June 30th, 2021 | 31st March, 2023 |
| **Ceiling** | Rs. 500 crore of loan outstanding | No limit (assistance to each borrower limited to 40% of total credit outstanding or Rs. 200 crore whichever is lower) |

**(Annex. – 18)**

**Progress** **(Amt. in Cr.)**

| | No. of Accounts | Amount |
|---|---|---|
| **UPto 30/06/2022** | 274 | 65.75 |
| **Upto 31/03/2022** | 259 | 62.86 |

ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना अंतर्गत रु. 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करोड कर दिया गया है, जिसमें से रु. 50,000 करोड़ पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को ऋण देने के लिए रखे गये हैं।

**c) GECL – 4.0 :** **(Annex. – 18)**

**Progress** **(Amt. in Cr.)**

| | No. of Accounts | Amount |
|---|---|---|
| **UPto 30/06/2022** | 10 | 2.57 |
| **Upto 31/03/2022** | 10 | 2.57 |

## एजेण्डा संख्या – 6 :

## लम्बित प्रकरण :

**(i) Issues pending with State Government :**

| क्र.सं | विषय | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | कृषि ऋण पर स्टाम्प षुल्क में छूट | षासन की अधिसूचना संख्या 160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंषिक संषोधन करते हुए आगामी 05 वष अर्थात् **दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022** तक रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प षुल्क प्रभार्य न किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।<br>**शासन से उक्त विषयक सूचना अपेक्षित है।** |
| 2. | स्वामित्व योजना | निम्न कार्य विन्दुओं पर षासन स्तर पर कार्यवाही प्रतीक्षित है।<br>**a.** Legal recognition of SVAMITVA card under State Land Revenue Act.<br>**b.** Provision to be made for registration of SVAMITVA cards on the lines of State Act/Rule of Haryana Government, making.<br>**c.** Modalities for creation of mortgage / noting of charge on SVAMITVA card treating these as Title of Property. |
| 3. | कर्णप्रयाग षाखा | भारतीय स्टेट बैंक को कर्णप्रयाग में षाखा खोलने हेतु ए.टी.एम. के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि के साथ षाखा खोलने हेतु स्थान उपलब्ध कराना। |

**(ii) <u>Issues of SLBC pending with Banks</u> :**

| क्र.सं | विषय | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | दिनांक 04.01.2021 को एस.एल.बी.सी. की 80वीं बैठक में माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देषानुसार विभिन्न बैंकों द्वारा 58 नई षाखायें खोली जानी थी। | भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 02 षाखायें, बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 02 षाखायें, केनरा बैंक द्वारा 03 एवं पंजाब नेषनल बैंक द्वारा 01 षाखा खोले जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।<br>बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक से नई षाखा खोलने की सूचना प्रतीक्षित है। |
| 2. | राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के Circular Instruction एवं Product Code जारी करना | वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना विषयक सर्कुलर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई., उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, नैनीताल बैंक द्वारा जारी किये गये हैं। पंजाब नेषनल बैंक एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा एक मात्र योजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का सर्कुलर जारी किया गया है।<br>अवषेष बैंकों से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त योजना से सम्बन्धित सर्कुलर अतिषीघ्र जारी करेंगे, ताकि उक्त योजनाओं अंतर्गत प्रगति दर्ज हो सके। |
| 3. | पी.एम. स्वनिधि योजना | पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 2nd tranch & 3rd tranch में rejection का option नही है, अतः इस विषयक बैंकों से सूचना प्रतीक्षित है। |
| 4. | स्वामित्व योजना | बैंकों से उनके विधि विभाग से स्वामित्व योजना पर टिप्पणी प्रतीक्षित है। |
| 5. | Market Intelligence | Ponzi Schemes / Illegal Activities of Unincorporated Bodies / Firms / Companies Soliciting Deposits from the Public :<br>उक्त विषयक यदि किसी भी बैंक के कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो वे वर्णित घटना से एस.एल.बी.सी. को अवगत नही कराया गया है। |
| 6. | बी.सी. को सी.एस.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाना | बैंकों द्वारा बी.सी. को सी.एस.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाने की सूचना प्रतीक्षित है। |

**<u>एजेण्डा संख्या – 7</u> : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।**